राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 94 /2020 दिनांक :**22.07.2020**

श्रीमती लोचन खिड़िया देवल (RJ0936), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) को दिनांक 21.07.2020 से 19.09.2020 तक **61** दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 19.07.2020 एवं 20.09.2020 के राजपत्रित अवकाशों एवं 20.07.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री भारत भूषण पाठक (RJ0674), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) को श्रीमती लोचन खिड़िया देवल के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतदद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) ऐसे प्रकरणों, *जिनमें* अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।

(2) श्री भारत भूषण पाठक (RJ0674), *जिनको* सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से
22.7.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/105/2015/ 2949 दिनांक :**22.07.2020**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 6725 दिनांक 10.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती लोचन खिड़िया देवल (RJ0936)**, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) ।
5. श्री भारत भूषण पाठक (RJ0674), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार